राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2122/2007/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
चैक पोस्टशाहजहांपुर(अलवर) ....अपीलार्थी

बनाम

मै0 परफेक्ट मार्केटिंग,
45, शिवाजी नगर, सिविल लाईन्स,
22 गोदाम, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 07/10/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 98/अपील्स–द्वितीय/आरएसटी/जयपुर/बी/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, दस्तावेज संग्रहण केन्द्र शाहजहांपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 30.03.2001 को वाहन संख्या एच.आर.37ए–0938 को दस्तावेज संग्रहण केन्द्र, शाहजहांपुर पर रोक कर चैक कियका। वाहन में किचनवेयर्स लदे पाये गये, जो दिल्ली से जयपुर के लिये परिवहनित किये जा रहे थे। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से संबंधित दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र एस. टी.18ए में संख्या का अंकन नहीं किया गया है एवं फार्म दुबारा उपयोग में लिया जा रहा प्रतीत होता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी का यह कृत्य राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(2) नियम 53 का उल्लंघन होने के कारण धारा 78(5) के अन्तर्गत व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में मै0 परफेक्ट मार्केटिंग, जयपुर के अकाउन्टेन्ट श्री विजय शर्मा ले उपस्थित होकर जवाब पेश किया प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर, सशक्त अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 20.03.2001 द्वारा माल कीमतन रू0 79,222/– पर 30 प्रतिशत से शास्ति राशि रू0 23,770/–आरोपित की। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13.04.2007 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना जरिये अखबार प्रकाशन के अनुपस्थित रहा।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ सभी वांछित दस्तावेज मौजूद थे केवल घोषणा पत्र एस.टी.18–ए अपूर्ण था। माल के साथ बिल एवं बिल्टी में दिनांक प्रेषक/प्रेषिति के पते माल की कीमत आदि मौजूद थे। केवल घोषणा पत्र में प्रेषक ने भूलवश बिल नं0 व दिनांक का अंकन नहीं किया है फिर भी उसने दिनांक का अंकन घोषणा पत्र के पार्ट–ए में किया है। अतः अन्य दस्तावेज बिल, बिल्टी में परिवहनित माल से संबंधित सभी जानकारियां मौजूद थी। सक्षम अधिकारी ने केवल घोषणा पत्र को अपूर्ण मानते हुए, प्रत्यर्थी के विरूद्ध शास्ति आरोपित करने में विधिक भूल की है, जो अविधिक है। सक्षम अधिकारी को यदि किसी प्रकार का संशय प्रस्तुत दस्तावेजों में था तो उनको चाहिये था कि वे प्रस्तुत दस्तावेजों की विस्तृत जांच करते एवं तत्पश्चात किसी विपरीत साक्ष्य के पाये जाने पर विधिसम्मत रूप से नियमानुसार कार्यवाही करते। परिवहनित माल के साथ अन्य सभी दस्तावेज मौजूद थे। प्रेषक द्वारा भूलवश घोषणा पत्र में बिल नं0 व दिनांक भरने से रह गया था। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति विधिसम्मत नहीं है। अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्ति को अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है, जो उचित प्रतीत होती है।

6. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 13.04.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष